समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर,कैंप सागर

हरिशचन्द्र तनय श्री नारायनदास पाठक R 4180 I-16
निवासी बमनौराकलां तह0घुवारा
जिला–छतरपुर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

गिरजाप्रसाद तनय श्री देवकीनंदन पाठक
निवासी ग्राम बमनौराकलां तह0घुवारा
जिला–छतरपुर(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा के प्र0क्र0023/अपील/वर्ष2015–16 में पारित आदेश दिनाँक 24.10.2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक ने एक आवेदन विचारण न्यायालय तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके भूमि स्वामी हक की भूमि ख0नं0929/2 रकवा 0.045हे0 में किये जा रहे मकान निर्माण कार्य की जाँचकर स्थगन आदेश जारी किया जावे। उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को साक्ष्य आदि का अवसर प्रदान किया किंतु अनावेदक ने साक्ष्य नहीं दिये जाने पर उसका अवसर समाप्त कर उभय पक्षों के तर्क श्रवण कर अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर विवादित आदेश दिनाँक 12.08.2016 पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर प्रथम अपील आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने विचारण न्यायालय का आदेश अधिकारिता विहीन माना एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील इस आधार पर निरस्त करने का विवादित आदेश दिनाँक 24.10.2016 पारित कर दिया कि आवेदक को विचारण न्यायालय की निगरानी करना थी, से दुखित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष विधिवत् की जा रही है।

हरिश्चन्द्र पाठक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4180-एक/2016 जिला छतरपुर

हरिशचंद्र विरूद्ध गिरिजाप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अुनविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	